

परियोजना का नाम:- चम्बा नगर (पुर्न०) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हे० आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का ३० वर्षों की लीज पर दिया जाना।

प्रारूप -5

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश

संलग्न


अधिसारी अभियन्ता
निर्माण शाखा
प्रयोक्ता एजेन्सी विकास
एवं निर्माण निगम, चम्बा

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक: 28 जून, 2019

विषय :- राज्य सैक्टर (नगरीय) कार्यक्रम के अंतर्गत 32 नगरीय पेयजल योजनाओं के प्रथम चरण के प्राक्कलन हेतु धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 579/नगर अनु0 वाह्य सहायतित/17 दिनांक 21 मई, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष, 2019-20 में 32 नगरों की पेयजल योजनाओं के प्रथम चरण के प्राक्कलन हेतु विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी कुल लागत रू0 2699.30 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्न विवरणानुसार योजनाओं हेतु निजी भूमि प्रबन्ध, वन भूमि की स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक कार्यों हेतु कुल रू0 1021.02 लाख (रू0 दस करोड इक्कीस लाख दो हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त विल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके दिया जायेगा।
- (ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2020 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।
- (iii) उक्त योजना की धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हों, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 व वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों/आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
- (iv) उक्त धनराशि को स्वीकृत एवं व्यय करते समय योजना के संबंध में भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों एवं मानकों का अनुपालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (v) उक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि का योजनावार आवंटन एवं व्यय योजना की अनुमोदित लागत की सीमा तक ही किया जायेगा। योजना हेतु अनुमोदित लागत से अधिक का आवंटन कदापि न किया जाय।

प्रबन्ध निदेशक
11/7/19

पत्र संख्या 579/नगर अनु0 वाह्य सहायतित/17 दिनांक 21 मई, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष, 2019-20 में 32 नगरों की पेयजल योजनाओं के प्रथम चरण के प्राक्कलन हेतु विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी कुल लागत रू0 2699.30 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्न विवरणानुसार योजनाओं हेतु निजी भूमि प्रबन्ध, वन भूमि की स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक कार्यों हेतु कुल रू0 1021.02 लाख (रू0 दस करोड इक्कीस लाख दो हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-13, लेखाशीर्षक-4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय- 01-जलापूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम -03-नगरीय पेयजल-01-नगरीय पेयजल /जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण- 24 वृहत् निर्माण कार्य मद के नामें डाला जायेगा।

3. धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या- H 19060130034 दिनांक 26 जून, 2019 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या-254/3(150)-2017/XXVII(1)/2019 दिनांक 29 मार्च, 2019 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. यह आदेश वि० वि० के अ० शा० संख्या- 147 / XXVII (2) / 2019 दिनांक 26 जून, 2019 में उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक , प्रशोक्त

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव

पृ० संख्या- /उन्तीस(2)/19-2(11 पे०)/2019, तददिनांकित।
प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी /कोषाधिकारी, देहरादून।
7. बजट निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग- /2, उत्तराखण्ड शासन।
9. मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव

पृथक कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून
दिनांक 02-7-19

- प्रतिलिपि 1. मुख्य अधिकारी (कृ०) / (उत्तराखण्ड) - देहरादून / पं०
2. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान (उत्तराखण्ड)
3. सहायक महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान
4. महाप्रबन्धक (उत्तराखण्ड) / 0 महाप्रबन्धक (उत्तराखण्ड)

04/17
CE (10)

राज्य सैक्टर (नगरीय) पी0-1 वर्ष 2019-20

धनराशि (रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद	योजना का नाम	प्रथम चरण के प्राक्कलन की टी0ए0सी0 उपरान्त लागत	योजना हेतु निजी भूमि प्रबन्ध, वन भूमि स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक कार्यों हेतु धनराशि की मांग
01	02	03	04	05
1	अल्मोडा	भिकियासैन पम्पिंग पे0यो0	72.58	51.09
2	चम्पावत	लोहाघाट टाउन पम्पिंग पे0यो0	69.42	24.28
3	हरिद्वार	शिवालिक नगर पम्पिंग पे0यो0	122.98	5.46
4	हरिद्वार	भगवानपुर पम्पिंग पे0यो0	95.77	4.50
5	हरिद्वार	झबरेडा पम्पिंग पे0यो0	59.60	3.21
6	हरिद्वार	लक्सर पम्पिंग पे0यो0	66.95	3.47
7	हरिद्वार	पिरान कलियर पम्पिंग पे0यो0	65.09	3.40
8	हरिद्वार	लण्डोरा पम्पिंग पे0यो0	124.86	5.53
9	टिहरी गढवाल	कीर्तिनगर पम्पिंग पे0यो0	39.43	13.33
10	टिहरी गढवाल	चम्बा पम्पिंग पे0यो0	109.70	48.20
11	टिहरी गढवाल	लम्बगांव पम्पिंग पे0यो0	19.70	6.62
12	टिहरी गढवाल	नई टिहरी (पुर्न0) पम्पिंग पे0यो0	170.89	47.23
13	चमोली	नन्दप्रयाग पम्पिंग पे0यो0	28.96	14.61
14	चमोली	जोशीमठ पम्पिंग पे0यो0	25.29	11.48
15	चमोली	पीपलकोटी पम्पिंग पे0यो0	46.72	24.84
16	चमोली	गोपेश्वर पम्पिंग पे0यो0	40.25	22.32
17	चमोली	थराली नगर पंचायत पम्पिंग पे0यो0	30.02	13.55
18	चमोली	गैरसैण पम्पिंग पे0यो0	66.85	17.03
19	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि पम्पिंग पे0यो0	43.54	9.60
20	रूद्रप्रयाग	तिलवाडा नगर पंचायत पम्पिंग पे0यो0	41.21	28.15

A. D.

क्र० सं०	जनपद	योजना का नाम	प्रथम चरण के प्राक्कलन की टी०ए०सी० उपरान्त लागत	योजना हेतु निजी भूमि प्रबन्ध, वन भूमि स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक कार्यों हेतु धनराशि की मांग
01	02	03	04	05
21	रुद्रप्रयाग	ऊखीमठ पम्पिंग पे०यो०	43.61	15.52
22	रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग नगर पम्पिंग पे०यो०	42.54	7.69
23	उत्तरकाशी	चिंयालीसौड पम्पिंग पे०यो०	194.58	129.93
24	उत्तरकाशी	नौगांव पम्पिंग पे०यो०	53.98	23.76
5	उत्तरकाशी	पुरोला पम्पिंग पे०यो०	167.62	133.37
26	उत्तरकाशी	बडकोट पम्पिंग पे०यो०	172.22	140.07
27	नैनीताल	भीमताल पम्पिंग पे०यो०	106.47	62.79
28	पिथौरागढ़	गंगोलीहाट पम्पिंग पे०यो०	73.65	18.66
29	पिथौरागढ़	बेरीनाग पम्पिंग पे०यो०	79.94	20.08
30	ऊधमसिंहनगर	जसपुर नगर जोन-2 पे०यो०	88.05	4.22
31	बागेश्वर	बागेश्वर पम्पिंग पे०यो०	225.00	29.35
32	नैनीताल	भवाली पम्पिंग पे०यो०	111.83	77.71
		महायोग	2699.30	1021.02

(हस्ताक्षर) (दिनांक 15/05/2017)
संयुक्त सचिव

अधिसारी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेट्रोल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम, चम्बा

12